

No 20.8.11 अद्वैत संस्कृत

10/8/21

प्राथमिक मय वकील उप. सुना गया। वकील द्वारा मूल दावा विशेष कर लिया है। इसी स्थिति में प्रा. पत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। पूर्व में जारी T.I. खारिज की जाती है पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी  
पहाड़ी (भरतपुर)